

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर रायसिंहनगर

प्रपत्र-8

क्रमांक:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार व भूअ.नि. 3MIC की अनुशांषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 1398 तहसील राजसिंहनगर जिला राजसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् 2025 में खाता संख्या 04 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

दिनांक:-

क्र०सं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रवृष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	1398	04	खजाने की लिह जिम्मेदार सेना का बंद खजाने का 1.250 है रकम - 311 पट्टल के अफ का मल शुद्धा 32 ML	खजाने की लिह जिम्मेदार सेना का बंद का 1.250 है रकम - पचास के अफ का मल शुद्धा 32 ML

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
रायसिंहनगर
दिनांक:- 9/10/20

क्रमांक:- 40

1. तहसीलदार *ROSK* को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर फूलना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री *रवत सिंह* को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

